न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 767 दिनांक 02/04/2024

प्रार्थीगण:-

1.अमोलखराम 2.कृपाराम 3.चेहनराम 4.टीकमाराम 5.तेजाराम पि.राणाराम 6.फूली पत्नि राणाराम, जातियान मेघवाल, निवासी इब्रे का तला तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.भीखसिंह पुत्र महादानसिंह 2.देवीकंवर पत्नि महासिंह 3.लेहरीदेवी पत्नि दीपसिंह जातियान राजपुरोहित 4.बचू 5.बाबू पि. बूढा 6.पांचा पुत्र कला 7.बचू 8.बाबू पि.बूढा 9.लीला 10.हुकमा पि.कला, जाति मेघवाल 11.अरबाब पुत्र काछबा, जाति मुसलमान, निवासी इब्रे का तला, तहसील धनाऊ 12.तहसीलदार धनाऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 261/2023 दिनांक : 02.04.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र मीठे का तला के मौजा इब्रे का तला के खेत खसरा सं. 804/605 रकबा 05.3337 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 768 to 771 दिनांक 02/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण अमोलखराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण भीखसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरी[illegible]/धन[illegible]/सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:43:36 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन